समक्ष माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
केम्प भोपाल

रिव्यू-4207-III/13 प्रकरण कमांक : ..../2012/पुनर्विलोकन

महंत किशोरदास गुरू श्रीरामजीदास
निवासी – बड़ा श्रीराम मंदिर अँकपात मार्ग,
उज्जैन तहसील व जिला उज्जैन .... **प्रार्थी**

विरूद्ध

1. **भँवरलाल पुत्र गुलाब**
2. **गिरधारी पुत्र हरीराम**
3. **अमरसिंह पुत्र तोलाराम**
4. **प्रभूदयाल पुत्र गुलजीराम**
5. **शिवनारायण पुत्र श्री लाल**
समस्त निवासीगण – ग्राम कुआखेड़ा
तेहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ ..... **प्रतिप्रार्थीगण**

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51(1) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.07.2013 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर प्रकरण कमांक 3431–एक/2012 निगरानी महन्त किशोरदास विरूद्ध भँवरलाल व अन्य

महोदयजी,

उक्त निगरानी प्रकरण सुनवाई उपरांत आदेश हेतु सुरक्षित किया गया, निर्णय हेतु कोई पेशी नियत नहीं की गई तत्पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.07.2013 को आदेश पारित किया गया जिसकी सूचना प्रार्थी को दिनांक 26.09.2013 को प्राप्त हुई ... नकल दिनांक ... हेतु आवेदन पेश कराया ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 4207–तीन / 2013 जिला राजगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–04–15	प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आवेदक के द्वारा इस रिव्यु आवेदन को प्रस्तुत करने के मुख्यतः दो आधार बताये हैं – प्रथम अपर आयुक्त के संहिता की धारा 49(3) में प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का अधिकार नहीं था तथा राजस्व मण्डल के द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये व्यवहार न्यायालय / उच्च न्यायालय के आदेशों पर विचार नहीं किया गया । 2– इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–7–13 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश को आवेदक के द्वारा उठाये गये उक्त दोनों बिन्दुओं पर विचार किया गया है। आदेश के अंतिम कंडिका 8 में राजस्व मण्डल के द्वारा अपर आयुक्त के आदेश के प्रत्यावर्तन संबंधी हिस्से की पुष्टि नहीं की गई है । इसी प्रकार आदेश की कंडिका 7 में व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर भी पूर्ण रूप से विचार किया गया है । उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त आवेदक की ओर से ऐसा कोई अन्य आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे प्रकरण में अभिलेख संबंधी प्रथमदृष्टया भूल दर्शित होती हो । अतः यह पुनर्विलोकन आवेदन अग्राह्य किया जाता है । **प्रशासकीय सदस्य**	